

राजस्थान विधान सभा
प्रथम सत्र
कार्य-सूची
सोमवार, दिनांक 21 जनवरी, 2019
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

1- श्री बुलाकी दास कल्ला, ऊर्जा मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :-

- (I) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 ;
- (II) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 ;
- (III) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2017-2018 ; एवं
- (IV) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2017-2018.

2- श्री परसादी लाल, उद्योग मंत्री, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 की धारा-34(3)(का) के अन्तर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 सदन की मेज पर रखेंगे ।

3- श्री प्रमोद भाया, गोपालन मंत्री, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा-54(14) के अन्तर्गत राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का 28वां वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 सदन की मेज पर रखेंगे ।

4- श्री लालचंद कटारिया, कृषि मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 सदन की मेज पर रखेंगे ।

5- मास्टर भंवरलाल मेघवाल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-65 के अन्तर्गत आयुक्तालय विशेष योग्यजन राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 सदन की मेज पर रखेंगे ।

3. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रोत्तर वाद-विवाद

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (विभाजन संख्या-121), सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 2019 को प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रोत्तर वाद-विवाद होगा :-

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

दिनेश कुमार जैन
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 18 जनवरी, 2019